भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 896

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

कम वजन तौलने की समस्या

896. श्री देवेश शाक्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिलों में कार्यरत उचित दर दुकानदारों (कोटदारों) को इलेक्ट्रॉनिक कांटे/बोरियों को तौलने के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण कम वजन तौलने (घट्टी) की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि हजारों क्विंटल खाद्यान्नों के जिला-बार आवंटन के बाद बचा हुआ खाद्यान्न उचित निगरानी के अभाव में अनुचित वितरण, अनियमित भंडारण या कालाबाजारी का शिकार हो रहा है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान एटा और कासगंज में ऐसे मामलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों, बोरियों के मानक वजन और कोटदारों को कम घटतौली के संबंध में मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश या योजना लागू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्यान्न की आपूर्ति सभी उचित दर दुकानों को केवल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के डिपो में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक धर्म-काँटे के माध्यम से तौलने के बाद ही की जाती है, जो एकल स्तर द्वार पर सुपुर्दगी प्रणाली के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करती है।

खाद्यान्न का वजन स्वीकृत मांग पत्र और रिलीज आदेश के अनुसार किया जाता है। उचित वजन और सत्यापन के बाद, संबंधित राज्य सरकार के खाद्य निरीक्षक द्वारा एक पावती प्रदान की जाती है, जो प्रमाणित करती है कि खाद्यान्न की पूरी और सही मात्रा प्राप्त हो गई है। इसके बाद, खाद्यान्न उचित दर दुकानदारों को उनके आवंटित कोटे के अनुसार ही जारी किया जाता है।

...2/-

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान एटा और कासगंज जिलों से खाद्यान्नों के अनुचित वितरण, अनियमित भंडारण या कालाबाजारी की कोई घटना सामने नहीं आई है।

इन जिलों में खाद्यान्न का आवंटन और वितरण डिजिटल रूप से निगरानी और नियंत्रित प्रणाली के तहत किया जाता है, और आवंटन और वितरण का विवरण राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है।

(ग) और (घ): खाद्यान्नों के सटीक और पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, उचित दर की दुकानों पर स्थित तराजू को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों से एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्नों का कोई वितरण निर्धारित मात्रा से कम न हो सके।

उत्तर प्रदेश राज्य में, सभी 73,138 उचित दर की दुकानों में तराजू ई-पीओएस उपकरणों से एकीकृत हैं। यह प्रणाली राशन पर्ची तभी तैयार करती है जब तराजू पर अनाज की पूरी निर्धारित मात्रा रखी जाती है, जिससे कम वजन की संभावना समाप्त हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था मानकीकृत वजन सुनिश्चित करती है और लाभार्थियों तथा उचित दर की दुकानों के मालिकों दोनों के हितों की रक्षा करती है।
